

सीलदार छठेला ने कोई आपत्ति जाहीर नहीं की  
 पत्राबली पर उपलब्ध राजस्व लेकों  
 एवं पैशादा राजीनामा का अवलोकन किया  
 गया जिनके अवलोकन से एवं लोक अदालत  
 की भावना से वादीगण का वाद स्वीकार  
 किया जाने योग्य प्रामाण्य जाते पर स्वीकार  
 किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की  
 जारी की जाती है कि:-



आदेश

तन ग्राम तिवारी की दानी प. ह. लासत  
 तहसील छठेला जिला सीकर राज. अवस्थित दूध  
 भूमि ख. नं. 1, 10 ता 18, 2 ता 9, कबा 129000  
 हे. में वादीगण एवं उत्तिवादी सं. 1 एवं उत्तिवादी  
 सं. 2 व 3 के पिता मृतक अर्जुन पुत्र हनुमान  
 एवं उत्तिवादी सं. 4 ता 10 के पिता-पति मृतक  
 घुंवा पुत्र हनुमान एवं मृतक तीज पत्नी बालू  
 उर्फ बल्लू एवं मृतक बालू पुत्र धारा के नाम  
 दर्ज हिस्सा 31/88 हे.-4.5443 में से हिस्सा 31/528  
 हे.-0.7573 का वादी सं. 1 को एवं हिस्सा 31/528  
 हे.-0.7573 का वादी सं. 2 को एवं हिस्सा 31/528  
 हे.-0.7573 का वादिया सं. 3 को एवं हिस्सा 31/528  
 हे.-0.7573 का वादी सं. 4 को एवं हिस्सा 31/528 हे.  
 0.7573 का वादी सं. 5 को एवं हिस्सा 31/528 हे.-  
 0.7573 का वादी सं. 6 को खातेदार काशतका  
 घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से  
 उत्तिवादी सं. 2 व 3 के पिता मृतक अर्जुन पुत्र  
 हनुमान एवं उत्तिवादी सं. 4 ता 10 के पिता-पति  
 मृतक घुंवा पुत्र हनुमान एवं वादी सं. 4 ता 6

की माता मृतका तीजा पत्नी बालू उर्फ बल्लू एवं  
मृतक बालू पुत्र ईशात एवं उत्तरी से. का  
नाम हजफ किया जाता है। एवं वादी से. पर  
6 के पिता का नाम बल्लू उर्फ बालू के स्वयं  
पर बल्लू (म) दस्ता किया जावे। उक्तानुसार  
राजस्व रेकार्ड में उमल दायम है। तयनुसार  
धर्चा बिक्री जारी है। फावली फेसल शुभार  
होकर नम्बर से कम हो तथा बाइ तजमील  
शामिल दफ्तर है। निर्णय मजमें आम सुनाया  
गया।

27/6/18  
अनीस शाख  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(अस्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

आज अदालत ...सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक... मुकाम... खण्डेला...

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाह, RAS

उनवान

① कलक्टर \* बनाम ② माताराम \*

दावा बाबत इतिहास एवं स्थायी विवेचना

मुकदमा नम्बर :- 63/2018

निर्णय दिनांक :- 22/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कलई रुबरु श्री भागीरथ शाह, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री भैरव सिंह चौधरी

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम तिवाड़ी की दानी प. ह. लावता तहसील खण्डेला जिला सीकर (प्र. अशक्ति शक्ति पत्र सं. 1, 10 ता 18, 2 ता 9 लला 12, 9 ल. ह. में बारीगाज सं. 3 तिवाड़ी सं. 1) एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता मृतक अजुन पुत्र हनुमान एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 10 के पिता-पति मृतक इया पुत्र हनुमान एवं मृतक तीता पत्नी बालू अर्क बलू एवं मृतक बालू पुत्र इराता के ताम दर्ज हिस्सा 3/528 हे. - 4.5443 में से हिस्सा 3/528 हे. - 0.7573 का बारी सं. 1 को एवं हिस्सा 3/528 हे. - 0.7573 का बारी सं. 2 को एवं हिस्सा 3/528 हे. - 0.7573 का बारी सं. 3 को एवं हिस्सा 3/528 हे. - 0.7573 का बारी सं. 4 को एवं \*

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 22/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाह)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रैक खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

- ✳ ② श्रीपेन्द्र पुत्रगण सुण्डा  
 ③ मोंनी पत्नी सुण्डा  
 ④ बौदूराम ⑤ श्यामलाल ⑥ उपदयाल पुत्रगण बल्लू उर्फ बल्लू  
 जाति जाट निवासीगण तिवारी की ठानी नं. 2 ग्रा.पं. लाखा  
 तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- वादीगण




विवरण

✳ पुत्र हनुमान

- ② मुलीघर पुत्र अर्जुनलाल ③ नान्ही देवी पुत्री अर्जुनलाल  
 ④ गोपाल ⑤ लोजीत ⑥ सौहन पुत्रगण झुंनाराम  
 ⑦ विदामी देवी पत्नी झुंनाराम  
 ⑧ राधू देवी ⑨ सीता देवी ⑩ सीमा देवी पुत्रियां झुंनाराम  
 समस्त जाति जाट निवासीगण तिवारी की ठानी नं. 2 ग्रा.  
 पं. लाखा तह. खण्डेला जिला सीकर (राज.)  
 ⑪ श्रीमिथारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- प्रतिवादीगण

✳ हिस्सा 31/528 हे. - 0.7573 का वादी सं. 5 को एवं हिस्सा 31/528 हे. - 0.7573 का  
 वादी सं. 6 को खातेदार कारतकार चेषित किया जाकर उक्त श्रमि की खाते  
 ले प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता मृतक अर्जुन पुत्र हनुमान एवं प्रतिवादी सं. 4 व  
 5 के पिता - पति मृतक झुंनाराम पुत्र हनुमान एवं वादी सं. 4 व 6 की माता मृतका ली  
 पत्नी बालू उर्फ बल्लू एवं मृतक बालू पुत्र शिरा एवं प्रतिवादी सं. 1 का  
 नाम हजफ किया जाता है। एवं वादी सं. 4 व 6 के पिता का नाम बल्लू 3  
 बालू के लयम पर बल्लू राम इलहत किया जावे। उक्तानुसार राजस्व  
 रिकॉर्ड में अमल दायम है।

  
 भागीरथ शाख  
 (RAS)  
 सहायक कलेक्टर  
 (जाट ट्रेक) खण्डेला